वित्त निर्देश 18/2005

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 176/396/वि/नि/05 रायपुर, दिनांक 05 मई, 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- क्रमोन्नति/वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1039/सी-2819/वि/नि/चार/2004, दिनांक 23.12.2004.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन के कण्डिका 4 (क) एवं (ख) में क्रमशः क्रमोन्नति वेतनमान के समान वेतनमान एवं इससे कम वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । कतिपय प्रकरणों में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि, ऐसे मामलों में जहाँ पदोन्नति क्रमोन्नति वेतनमान से उच्चर वेतनमान के पद पर हुई है, वेतन निर्धारण की प्रक्रिया क्या होगी ?

राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में भी वेतन निर्धारण संदर्भित ज्ञापन की कण्डिका 4 (क) के अनुसार किया जावे ।

यह आदेश दिनांक 19.04.1999 से लागू माना जावेगा । इस पर सामान्य प्रशासन विभाग की टीप यू.ओ. क्रमांक 1740/साप्रवि, दिनांक 26.04.2005 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.177/396/वि/नि/2005 रायपुर, दिनांक 05 मई, 2005

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के सचिव,राजभवन,रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभ सचिवालय,रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
15. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के.चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग